मंगलवार,
१२ अगस्त, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पहला सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
18·3·92
Fumigated

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

मंगलवार, १२ अगस्त १९५२

सदन की बैठक नौ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(प्रश्न नहीं पूछे गये भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

९-९ म० पू०

वायदे के सौदे (नियमन) सम्बन्धी विधेयक—समाप्त

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री टी० टी० कृष्णमाचारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार आरम्भ होगा। श्री बंसल।

श्री बंसल (झझर-रिवाड़ी) : यह विधेयक जो इस समय सदन के सामने है, लगभग वही है जिस रूप में कि प्रवर समिति इस पर रिपोर्ट कर चुकी है। माननीय मंत्री के कथनानुसार इस वायदा मण्डी आयोग उनके मंत्रालय से संलग्न है, अतएव इसके कृत्यों का निश्चित रूप से वर्णन नहीं किया गया। अस्थायी संसद् में आयोग की शक्तियों के निराकरण करने का एक कारण उन्होंने यह दिया था कि इससे न्याय-विधान सम्बन्धी झगड़े खड़े हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि उनका यह भय ठीक नहीं था।

यदि उन्हें ऐसा भय था तो इस से बचने के लिए स्वयं विधान में एक वाक्य द्वारा व्यवस्था की जा सकती थी कि सरकार की किसी सिफारिश अथवा फैसले को न्याय-विधान सम्बन्धी विवाद का विषय नहीं बनाया जा सकेगा। परन्तु यह बात मेरी समझ में नहीं आ सकती कि आयोग तो बना दिया जाय, परन्तु उसकी शक्तियों का वर्णन न किया जाय। इससे तो स्वयं आयोग का ही कोई औचित्य अथवा आवश्यकता नहीं रहती।

अभी कल ही हम ने सारभूत प्रदाय (अस्थाई अधिकार) अधिनियम पारित किया है जिस के अनुसार वायदे के सौदों के करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। परन्तु इस विधेयक से ऐसे सौदे वैध हो जायंगे। इसका अर्थ यह होगा कि सारभूत प्रदाय (अस्थाई अधिकार) अधिनियम के अन्तर्गत हमें एक अधिसूचना द्वारा किसी वस्तु विशेष में वायदे के सौदों को वैध बनाना होगा। मेरे विचार में अधिसूचना का निकालना अनावश्यक होगा। हम इस उद्देश्य को इसी विधेयक में एक खण्ड जोड़ कर प्राप्त कर सकते हैं जो इस प्रकार से हो सकता है कि "सारभूत प्रदाय (अस्थाई अधिकार अधिनियम में किसी ऐसी बात के होते हुए भी"।

एक और बात जो हम जानते हैं, वह यह है कि अनाज, तैल के बीज, कपास इत्यादि राज्यों के विषय हैं। परन्तु इनमें वायदे के सौदों के करने का विषय केन्द्र का है। मैं यह

[श्री बंसल]

भी जानता हूं कि सकार ने इस सम्बन्ध में १९५५ तक सभी अधिकार लिए हुए हैं। परन्तु १९५५ के बाद स्थिति क्या होगी ? यह तथ्य बना रहता है कि ये वस्तुएं राज्य की विषय सूची में आती हैं। स्पष्ट है कि इस प्रकार से काफ़ी गड़बड़ रहने की सम्भावना बनी रहती है। मैं इस सम्बन्ध में किसी उपाय का सुझाव देने में असमर्थ हूं। मैं तो केवल इस खतरे को जतला रहा हूं तथा चाहता हूं कि कि माननीय मंत्री इस पर विशेष ध्यान दें।

इसके बाद विधेयक में स्वेच्छा से काम करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। मेरे इस बारे में विचार इतने कट्टर नहीं हैं। यदि सरकार की नीति यही है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। यह ठीक है कि स्वेच्छा की इजाजित देने से सीमित साधनों के व्यक्ति बीच में आ कर सट्टा बाजी करने लगेंगे परन्तु, क्या आप वायदे के सौदों को बड़े अथवा धनी लोगों का एकाधिकार बनाना चाहते हैं? हम इस सदन में व्यापारी के प्रति बड़ी सहानुभूति प्रकट करते रहे हैं। मेरा विचार यह है कि स्वेच्छा के प्रश्न को हमें वायदे के सौदों के प्रश्न से भी अधिक कठोर ढंग से विनियमित करना चाहिये।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : (जिला प्रतापगढ़—पूर्व): वास्तव में देश में वायदे के सौदों को नियमित करने के लिए कोई विधान नहीं है। नए विधान के पारित होने के साथ ऐसी मण्डियों को नियमित करने की आवश्यकता अनुभव की गई तथा इस सम्बन्ध में एक विधेयक बनाया गया। वह विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा गया था तथा इस समय जो विधेयक सदन के सामने है, इस का आधार कम अधिक उसी प्रवर समिति द्वारा की गई सिपारिशें ही है।

हम देखते हैं कि इस विधेयक में इन मण्डियों को स्वीकृत संस्थाओं द्वारा नियन्त्रित करने की चेष्टा की गई है। उक्त संस्थाओं को इस विधान में बहुत महत्व दिया गया है। ये संस्थाएं अपने नियम तथा उपनियम तथा अपनी प्रशासी निकायों के कृत्यों को स्वयं ही निश्चित करती हैं अतएव वास्तव में यह संस्थाएं इन मण्डियों में हो रहे सारे व्यापार का नियन्त्रण करती हैं। स्पष्ट है कि यदि इस प्रकार के नियन्त्रण को कुछक व्यक्तियों के हाथों में छोड़ दिया गया तो दूसरे व्यक्तियों को जो प्रतियोगिता के इच्छुक हों, कोई अवसर नहीं मिल सकेगा। जैसे नियम बनाने की प्रस्थापना की गई है, उन के अनुसार किसी वस्तु विशेष का व्यापार करने वाली सभी संस्थाओं का एकीकरण करना होगा। इससे सारा नियन्त्रण इन्हीं संस्थाओं के हाथ में चला जाता है।

यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यह विधान एक ऐसी समिति की सिपारिशों के अनुसार बनाया गया है जिसके सदस्य इस व्यापार के विशेषज्ञ हैं तथा जिन्हें इसका अनुभव है तथा जो इन मण्डियों में काम करते रहे हैं और इस प्रकार से जिनका इस व्यापार में हित है।

अब मैं कुछ शब्द इस समिति की सिपारिशों के बारे में कहना चाहता हूं। एक सिपारिश का अन्तिम उद्देश्य यह है कि एक 'व्यापक' संस्था बनाई जाय जिसे स्वीकृति पा जानी चाहिये तथा सारा व्यापार उसी

संस्था के द्वारा किया जाना चाहिये। अतः विशेषज्ञ समिति का उद्देश्य यह है कि प्रतियोगिता को न होने दिया जाय। साथ ही उनकी आकांक्षा यह है कि सरकार भी किसी प्रकार से उनके कार्य में हस्तक्षेप न कर सके। वस्तुतः उनका विचार यह है कि सारे का सारा नियन्त्रण संस्था के हाथों में रहे।

उन्होंने एक आयोग की स्थापना की ओर निर्देश किया है। यह इस विधान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसका एक सदस्य केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी होगा तथा यह निश्चित है कि दूसरे व्यक्ति का, जिसके लिए इन सौदों में अनुभव का होना आवश्यक करार दिया गया है, इस व्यापार से प्रत्यक्ष अथवा उपरोक्ष रूप से कुछ न कुछ सम्बन्ध होगा। एक और बात यह रखी गई है कि सरकार उस समय तक कोई विनिर्देश जारी नहीं कर सकती जब तक वह उक्त आयोग से परामर्श नहीं कर लेगी।

यदि इन्हीं सिपारिशों के अनुसार ही इस विधान को बनाया जाना है तो आप यह विचार कर सकते हैं कि ये वायदे के सौदे किस तरह के होंगे। विधान का आकार इस प्रकार से है कि एक स्वीकृत संस्था बनाई जायगी जिसे इन मण्डियों के नियम उपनियम बनाने का कार्य सौंपा जायगा। यहां तक कि सरकार को भी किन्हीं नियमों के बनाने में इन संस्थाओं की सहमति प्राप्त करनी होगी जिसके बिना वे नियम मान्य नहीं हो सकते।

मेरा निवेदन है कि यह एक बहुत असामान्य प्रकार का उपबन्ध है।

एक और उपबन्ध रखा गया है जो लगभग उसी प्रकार का है। उसके अनुसार इन संस्थाओं के काम करने के बारे में, किसी नियम के उल्लंघन के बारे में, भ्रष्टाचार के किसी मामले के बारे में यदि किसी जांच की आवश्यकता हुई तो उसे भी इसी संस्था द्वारा ही किया जायेगा। यह एक बहुत अनुचित बात है।

श्रीमान्, जैसा कि स्पष्ट है, इन मण्डियों के नियन्त्रण को सर्वथा इन संस्थाओं के हाथों में दे दिया गया है जो बहुत अनुचित है।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री० टी० टी० कृष्णमाचारी) : क्या मैं माननीय सदस्य को बतला सकता हूं कि वह खण्ड १० के उपखण्ड (२) को एक बार फिर पढ़ें ? उन्हें पता चलेगा कि जब पूर्ण सहमति न होने की अवस्था में सरकार के फैसले को कठोरता से लागू किया जायगा।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : निःसन्देह केन्द्रीय सरकार को इस मामले के रद्द करने का अधिकार प्राप्त है, परन्तु जैसा कि मैंने कहा है, इन संस्थाओं को इस विधान में सब से अधिक महत्व दिया गया है। बम्बई के विधान तथा इस विधान में केवल अन्तर यह है कि इसमें आयोग की स्थापना तथा परामर्शदात्री समिति की स्थापना की व्यवस्था की गई है जो बातें बम्बई विधान में नहीं हैं। इन दोनों के कृत्यों का खंड ४ तथा खंड २५ में क्रमशः वर्णन किया गया है। माननीय मंत्री ने हमें बतलाया कि यह आयोग उनके मंत्रालय का ही एक अंग होगा। आयोग में एक विशेषज्ञ को भी शामिल किया गया है तथा अधिनियम के चलाने के बारे में परामर्श को इसी आयोग से प्राप्त किया जायेगा। अतएव मेरा विचार है कि इस परामर्शदात्री समिति के बनाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। इन दोनों

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

में कोई अन्तर नहीं है, अतः एक ही प्रकार की दो निकायों की कोई आवश्यकता नहीं है।

इसके अतिरिक्त इस विधान में यह उपबन्ध किया गया है कि इसके कम में कम दो तथा अधिक से अधिक तीन सदस्य होंगे जिनमें से एक इस व्यापार विशेष का विशेषज्ञ होगा तथा दूसरा सरकारी कर्मचारी। इससे भी यह स्पष्ट है कि इस व्यापार में हित रखने वाले व्यक्तियों का इस आयोग में बहुत प्रभाव रहेगा।

इन उपबन्धों को विचार में रखते हुए मेरा निवेदन यह है कि यह विधेयक छोटे व्यापारियों के हित में नहीं है तथा न ही इस से अनुशासन तथा नियन्त्रण सम्बन्धी अच्छे परिणाम निकलेंगे।

पिछले वर्ष जब माननीय मंत्री केवल सदस्य थे तो उन्होंने विधेयक की कई एक कारणों से आलोचना की थी। मैंने उनके भाषण का समर्थन किया था। तब उन्होंने कहा था कि "उस समिति का रुख एक विशेष प्रकार का है तथा इस व्यापार में हित रखने वालों का निरूपण करता है। उनकी आकांक्षा यह है कि उस व्यापार में प्रतियोगित करने वाले और व्यक्ति दाखिल न होने पाएं".....

उनका यह कहना बिल्कुल ठीक था।

श्री टी० ो० कृष्णमाचारी : मेरा विचार अब भी वही है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय। इसके बाद उन्होंने कहा था कि :

> "..इससे केवल उन्हीं संस्थाओं को लाभ पहुंचेगा जिनका इस व्यापार में हित है--जो हित कि बहुत प्रभाव शाली हैं तथा जिन्हें सरकार की मान्यता प्राप्त है--इसके अतिरिक्त और किसी को इनसे लाभ नहीं पहुंचेगा"।

आगे चलकर उन्होंने कहा है कि "मण्डियों की आर्थिक व्यवस्था के विनियमन का मतलब निस्सन्देह यह है कि एक नए एकाधिकार को कायम किया जाय। फिर उन्होंने कहा है कि "यदि आप एक ऐसे विधेयक को पास करते हैं जिसके अनुसार आप धनी व्यक्तियों को अपनी मनमानी करने देते हैं तथा निर्धन को कुछ करने का अवसर ही नहीं देते तो यह बात प्रजातंत्र के विरुद्ध जायगी"। अन्त में उन्होंने इस विधेयक को समाप्त करने के बारे में कहा था।

मैं इस विधेयक के सामाप्त करने के पक्ष में तो नहीं हूं, परन्तु यह चाहता हूं कि उन्होंने असरकारी सदस्य के नाते जो शर्तें रखी थीं, उन्हें पूरा किया जाये। मैं यह भी समझता हूं कि वस्तुओं के सम्बन्ध में स्वेच्छा का जो अधिकार दिया गया है, वह उचित तथा वांछनीय नहीं है।

अन्त में मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के उद्देश्य अर्थात मण्डियों के नियन्त्रण तथा विनियमन को प्राप्त करने के लिए एक ठोस तथा क्षमतापूर्ण व्यवस्थान किया जाय। मेरा विचार है कि व्यापार में हित रखने वाले बड़े बड़े व्यापारियों पर हर बात के लिए निर्भर करने का परिणाम अच्छा नहीं रहेगा।

श्री ए० एम० टामस (ऐरणाकुलम) : सर्वसाधारण रूप से मैं इस विधेयक का स्वागत तथा समर्थन करता हूं।

मेरा देश के उस भाग से सम्बंध है जिसे वायदे के सौदों के व्यापार से लाभ तथा हानि दोनों पहुंचे है। वहां मसालों तथा नारयल के तैल आदि में यह व्यापार किया जाता है। इससे इन दोनों वस्तुओं के व्यापार को हानि भी पहुंची हैं, वहां पर वायदे के सौदों के व्यापार का सट्टा कहा जाता है। कभी कभी तो इसका रूप केवल जुए का होता है। फिर भी हमें यह मानना ही होगा कि गरी के गोले का सट्टा बहुत आवश्यक है। अतएव अनुचित सट्टे को रोकने के लिए तथा इसके फलस्वरूप बुरे परिणामों से बचने के लिए इस प्रकार के विधेयक की नितान्त आवश्यकता है जिससे कि सट्टे के व्यापार को नियमित किया जा सके। इस कारण वस्तुओं को व्यापार के विचार से अपनी इच्छा के अनुसार चुनने की व्यवस्था का करना जरूरी हो जाता है। अतएव मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को जितनी शीघ्रता से हो सके, पास कर देना चाहिये।

विशिष्ट समिति की रिपोर्ट का सार यह है कि कुछ एक व्यापारों के सम्बन्ध में, जिन पर यह विधेयक लागू होता है, पहले से ही प्रभावशाली संस्थाएं अर्थात् संघ विद्यमान हैं। इस विधान का एक मुख्य परिणाम यह होगा कि इन व्यापार—संघों के कृत्यों को और बढ़ा दिया जायगा तथा साथ ही सरकार के दखल को बहुत आपत्तिक मामलों तक सीमित कर दिया जायगा।

मुझे यह जानकर कुछ आश्चर्य हुआ कि इस विधेयक के श्री महताब द्वारा पुरःस्थापित किए जाने के समय माननीय मंत्री ने,—उस समय वह माननीय सदस्य थे—जो आलोचना की थी, वह आलोचना उन के अपने सम्बन्ध में भी इस समय ठीक बैठती है। उन्हों ने इस विधेयक को तब एक विवादग्रस्त विषय कहा था तथा इस के प्रारूप को त्रुटिपूर्ण बतलाया था। मुझे यह देखकर कुछ आश्चर्य हुआ कि वही त्रुटियां इस विधेयक में भी हैं। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि खण्ड २८ में निश्चय ही यह उपबन्धित है कि केन्द्रीय सरकार इस विधेयक के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियम बना सकती है तथा इन नियमों में स्वीकृति के प्रार्थना-पत्रों के भेजने तथा फीस निश्चित करने की बातें भी अवश्य होंगी। मैं समझता हूं कि यह फीस खर्च के पूरा करने के लिए काफी नहीं होगी।

मेरे माननीय मित्र ने उस समय यह आलोचना की थी कि संविदा अधिनियम तथा वस्तु विक्रय अधिनियम में इस व्यापार में कीमतों के घटने बढ़ने के सम्बन्ध में तथा आगे के सौदों के सम्बन्ध में प्रयुक्त प्रणालियों की सर्वथा उपेक्षा कर दी गई है। उन्होंने आयोग के कृत्यों तथा कर्त्तव्यों की भी आलोचना की थी। उन्होंने 'न्यायोचित' (reasonable) शब्द के रखे जाने की भी तीव्र आलोचना की थी। मैं यह नहीं समझ पाता कि अब उसी 'न्यायोचित' शब्द को इस विधान में क्यों रखा गया है। उन्होंने आयोग से परामर्श प्राप्त किये जाने की भी आलोचना की थी क्योंकि यह पहले से ही एक परामर्शदात्री समिति है तथा परामर्श प्राप्त करने का परिणाम केवल अधिक विलम्ब ही होगा।

श्रीमान् मेरा निवेदन यह है कि आज जो कुछ आलोचना तथा टिप्पणियां की गई हैं उन की प्रवर समिति द्वारा जांच की जाय ताकि यथासम्भव सामान्य व्यापार को कोई ठेस न पहुंचे। इस व्यापार में दाखिल होने वाले नए व्यक्तियों को भी सुविधाएं मिलनी चाहियें। वस्तुओं का

[ए० एम० टामस]

वर्णन भी स्वयं इस अधिनियम में होना चाहिये। हमें इस मामले को केवल सरकार की इच्छा पर ही नहीं छोड़ देना चाहिये। संसद् स्वयं इस सूची को तैयार करे।

इन शब्दों से मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं तथा यह आशा करता हूं कि इस की त्रुटियों तथा कमियों को प्रवर समिति द्वारा अवश्य ही दूर किया जायगा।

श्री ए० सी० गुहा (शान्तिपुर) : इस समय सदन के सामने जो विधेयक प्रस्तुत है, उस में कई बार परिवर्तन हो चुके हैं। कई एक माननीय सदस्यों ने मंत्री महोदय द्वारा पूर्वावसरों पर की गई आलोचना की ओर निर्देश किया है। मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहूंगा कि श्री अल्गू राय शास्त्री का यह कहना सत्य है कि प्रस्थान भेदात दर्शन भेदः।

मैं समझता हूं कि इस विधेयक का सब से अधिक विवादग्रस्त भाग चौथा अध्याय है। इस व्यापार में सब से अधिक रुचि पश्चिमी बंगाल तथा बम्बई राज्य को है। वास्तव में इस व्यापार में भाग न लेने के बावजूद भी मुझे इसके बुरे परिणामों का अच्छी तरह से पता है। एकमात्र कागज़ के टुकड़े पर करोड़ों रुपयों का इधर से उधर लेन-देन हो जाता है। दो पूर्ववक्ताओं ने मध्यम श्रेणी के लोगों द्वारा इस व्यापार में भाग लेने की ओर निर्देश किया है। मेरा सुझाव है कि मध्यम श्रेणी के तथा गरीब लोग इस व्यापार में भाग न लें। कम से कम इन मण्डियों की वर्तमान स्थिति को सामने रखते हुए।

आज की अवस्था में कोई राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था काम नहीं कर रही है; आज केवल अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था ही काम कर रही है। आज सब बातें अन्तर्राष्ट्रीय मांग तथा प्रदाय के विचार से होती है। एक बात बिल्कुल सत्य है और वह यह कि कच्चे माल की इन दिनों कमी है। प्रदाय तथा अनाज और उद्योग में काम आने वाले कच्चे माल के मूल्यों की स्थिरता को निश्चित रूप देने के विचार से वायदे के सौदों को व्यापार में कुछ न कुछ स्थान अवश्य देना होगा। इस से व्यापारियों को यह तसल्ली हो जायगी कि आने वाले कुछ महीनों में उन्हें निश्चित मूल्यों पर कच्चा माल मिलता रहेगा।

मैं समझता हूं कि इस विधेयक में सर्वोत्तम बात यह रखी गई है कि उन वस्तुओं के विनिमय पर प्रतिबन्ध लगाया गया है जिनका परस्पर विनिमय सम्भव नहीं है। हमें पता है कि ऐसी वस्तुओं में वायदे के सौदों के करने का वैयक्तिक जीवन तथा हमारे राष्ट्रीय आर्थिक ढांचे पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता रहा है।

इस विधेयक का एक विशेष पहलू यह है कि इसमें एक आयोग की स्थापना का उपबन्ध रखा गया है। इसमें एक सदस्य विशेष को सचिव के रूप में काम करने की व्यवस्था है तथा साथ ही किसी अधिकारी के सदस्य बनाये जाने का सुझाव भी रखा गया है। मैं चाहता हूं कि सचिव किसी अधिकारी को ही बनाया जाय तथा सभापति पद पर ऐसा व्यक्ति नियुक्त हो जो अपना सारा समय आयोग के काम में लगा सके।

जैसा कि पिछले वर्ष प्रवर समिति ने रिपोर्ट की थी, तीसरे सदस्य के स्थान पर किसी अनुभवी व्यक्ति को लिया जाना चाहिये। परन्तु प्रवर समिति तथा इस विधेयक में प्रयुक्त शब्दों में अन्तर है। जहां रिपोर्ट में "संगठन तथा काम में बहुत

अनुभव रखने वाले" शब्द थे, वहां अब इस अधिनियम में "जानने वाले" शब्दों को ही रखा गया है। मैं चाहता हूं कि कम से कम इतना उपबन्ध अवश्य कर दिया जाय कि अपने सदस्यता काल में वह वायदे के सौदों से कुछ सम्बन्ध न रखें तथा यह तो निश्चय ही रखा जाना चाहिये कि आयोग का सदस्य नियुक्त होने से पहले वह इस व्यापार से अवश्य निवृत्त हो चुके हों।

जहां तक आयोग के कृत्यों का संबंध है, केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेश मिलने पर इसे स्वीकृत व्यापार-संघों के लेखों तथा दूसरे कागजों की जांच पड़ताल करने का कार्य करना होगा। मैं समझता हूं कि यह पग ठीक दिशा में उठाया गया है।

इसके अतिरिक्त यह अधिनियम सभी क्षेत्रों में सभी वस्तुओं पर लागू नहीं हो सकेगा। मैं समझता हूं कि खण्ड ४ (सी) में यह भी लिख दिया जाना चाहिये कि यह अधिनियम विधेयक के खण्ड १५ तथा १८ में लिखे गये क्षेत्रों पर भी लागू हो सकेगा।

प्रवर समिति के सामने अब से अधिक विवादग्रस्त खण्ड १८ था। उचित विचार करने तथा गवाहियां लेने के बाद समिति ने एक बीच का समझौते का रास्ता निकाला। यद्यपि मेरी इस प्रस्थापना से सहमति नहीं है तो भी मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस सारे खंड पर अच्छी तरह विचार करें जिससे कि पश्चिमी बंगाल के दृष्टिकोण की उपेक्षा न हो सके तथा उनकी मार्केट की स्थिति खराब न होने पाए।

जहां तक मान्य संस्थाओं के अधिकारों का प्रश्न है, खंड १२ तथा खंड १३ में उन्हें अपना दृष्टिकोण बतलाने के लिए न्यायोचित अवसर देने की व्यवस्था की गई है। मुझे समझ नहीं आता कि 'न्यायोचित अवसर' शब्दों के अर्थ क्या लिये जायेंगे। यदि इन बातों का भार प्रस्तावित आयोग पर है तो किसी मान्य संघ के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने से पहले इसी आयोग से परामर्श क्यों न किया जाय।

खंड (१०) में नियमों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं अथवा व्यापार संघों के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाने की व्यवस्था है। इस शक्ति का प्रयोग केवल उसी समय किया जाना चाहिये जब किसी मान्य संघ ने सरकारी आदेश के अनुसार काम करने की उपेक्षा की है।

मुझे वह कारण समझ नहीं आता कि नियमों में परिवर्तन करते समय सरकार के लिये इन संस्थाओं की सहमति क्यों आवश्यक हो? मेरे मन से इससे इन संस्थाओं को सरकारी आदेशों के उल्लंघन करने का प्रोत्साहन मिलेगा।

जहां तक इन नियमों तथा उपनियमों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार नमूने के नियम बनाये जिसे सभी व्यापार संघ स्वीकार करें तथा अपने अपने नियम न बना सकें। ये संघ इन नियमों के बारे में अपने अपने सुझाव उपस्थित कर सकते हैं तथा सरकार उन पर विचार करने के बाद इनमें आवश्यक परिवर्तन कर सकती है।

विधयक में एक नई बात परामर्शदात्री समिति की स्थापना के बारे में रखी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि इस परामर्शदात्री समिति के कृत्य क्या होंगे तथा इसमें कौन कौन सदस्य लिये जायेंगे? क्या ये सदस्य उन मण्डियों से अ वा इन व्यापार संघों से लिए जायेंगे? मुझे इस बारे में कुछ आशंकायें हैं तथा मैं चाहता हूं कि इस समिति की रचना के बारे में स्वयं अधिनियम में ही निश्चित

[श्री न० सी० गुहा]

व्यवस्था की जाये तथा सब बातों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाय ।

जिन वस्तुओं के व्यापार को इस विधेयक में नियमित करने की व्यवस्था है, वे सब राज्यों की विषय सूची से सम्बन्ध रखती है । एक दूसरे अधिनियम की भांति जिस पर चर्चा के दौरान में मैंने सारभूत वस्तुओं के नियन्त्रण को राज्य सरकारों को सौंपे जाने का वर्णन किया था यहां भी मैं इन मण्डियों तथा इन वस्तुओं के नियन्त्रण को राज्य सरकारों पर छोड़े जाने के सम्बन्ध में अपनी आशंका प्रकट करता हूं । जब सदन से किसी विधान के पारित करने को कहा जाता है तो मैं समझता हूं कि उसे इन अधिनियमों में किये गये उपबन्धों के व्यवहार रूप से चलाये जाने पर देख रेख करने का अधिकार भी होना चाहिये । मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि व्यापार के अभिप्राय से वस्तुओं के अपनी इच्छानुसार चुनने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ।

संघों की सदस्य-संख्या के सम्बन्ध में प्रवर समिति ने पिछले वर्ष एक सीमा निर्धारित कर दी थी तथा अब इस बात को केन्द्रीय सरकार पर छोड़ दिया गया है । वह चाहे तो संख्या को एक अधिसूचना द्वारा समिति कर सकती है । मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा परिवर्तन है।

माननीय मंत्री का कहना है कि एक क्षेत्र विशेष में एक वस्तु विशेष के व्यापार के लिये केवल एक व्यापार संघ ही कार्य करेगा । मेरा विचार है कि किन्हीं विशेष मामलों में एक से अधिक संघ को कायकरने की आज्ञा दी जाये जिससे स्वार्थी लोग प्रोत्साहित न हो सकें । उनके एकाधिकार को कायम नहीं रहने देना चाहिये । ऐसी परिस्थिति में केंद्रीय सरकार को नए संघ बनाने की सत्ता प्राप्त होनी चाहिये ।

इन राज्यों में मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

कुमारी आनी मस्करीन (त्रिवेन्द्रम्) : मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं। ऐसा करने का कारण यह है कि इससे व्यापार तथा मण्डियों की नैतिकता बनी रहेगी । इससे उपभोक्ता तथा वस्तुओं के बनाने वालों से एकरूप न्यायपूर्ण व्यवहार होगा । हम जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में दलालों तथा मध्यम व्यक्तियों ने व्यापार से बहुत अनुचित लाभ उठाया है । वस्तुओं के उत्पादन करने वाले अथवा बनाने वाले को अपनी वस्तुओं के उचित दाम नहीं मिलते हैं । दलाल लोग तथा व्यापारी लोग एकदम सब उत्पादित माल को अपने हाथ में कर लेते हैं तथा बहुत सस्ते दामों पर । बाद में वह इस प्रकार के प्रबन्ध करते हैं कि जब वे वस्तुएं बाज़ार में आती हैं तो उन्हें बहुत मंहगे दामों पर बेचा जाता है। इस विधेयक में एक मूल्य निश्चित कर दिया गया है, अतः उपभोक्ता तथा उत्पादक दोनों से न्याय किया गया है । इस के अलावा सरकार के ध्यान में यह बात भी है कि कोई संस्था जनता का शोषण न कर सके । इस अभिप्राय से सरकार को ऐसी शक्ति देने की प्रस्थापना रखी गई है जिससे वह इस प्रकार की संस्थाओं के उपनियम में हस्तक्षेप कर सके जिससे उपभोक्ता को उचित दामों पर वस्तुएं मिल सकें । दलालों की कमीशन को निश्चित करने, सौदा के तय करने, उनकी तुलना तथा बन्द करने के तरीके ऐसे हैं जिनका शोषण करने वालों तथा

व्यापारियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा और जिन के फलस्वरूप वे जनता का अधिक शोषण नहीं कर सकेंगे। अतएव मैं माननीय मंत्री को इस विधेयक के प्रस्तुत करने पर बधाई देती हूं। मैं यह आशा भी करती हूं कि वह इस विधेयक के अक्षर अक्षर पर अमल करेंगे जिस से व्यापार तथा वाणिज्य का नैतिक स्तर बना रहे।

मैं इस विधेयक में 'वस्तुओं के गुण-प्रकार' सम्बन्धी उपबन्ध को तलाश करती रही हूं। प्राय: वस्तुओं में मिलावट की जाती है। इससे राष्ट्र की नैतिकता का पता चलता है। हमें इसे अवश्य ही नियंत्रण में करना है तथा वस्तुओं को बढ़िया प्रकार का बनाना है। मैं आशा करती हूं कि माननीय मंत्री इस विधेयक में एक खंड ऐसा भी रखेंगे जो वस्तुओं के गुण प्रकार को अच्छा बनाने के सम्बन्ध में होगा तथा जब कोई विक्रेता वस्तुओं के बेचने के सम्बन्ध में सौदा करे, तो उसे तय पाई शर्तों के अनुसार वस्तुओं को देना पड़े।

श्री हेडा (बिजामाबाद): यद्यपि मैं समझता हूं कि इस समय की स्थिति की तुलना में इस विधेयक में कुछ सुधार किया गया है तो भी मेरी शिकायत यह है कि राज्य सरकारों को वायदे के सौदों के सम्बन्ध में विधान पारित करने से रोक दिया गया है तथा २ १/२ वर्ष बीत जाने पर भी हमने इस कार्य में विशेष प्रगति नहीं की है। मुझे संशय है कि इस विधेयक को पारित करने में हमें बहुत समय लग जायेगा। हर बार गवाहियों के अपर्याप्त होने अथवा इस प्रकार का कोई बहाना बना दिया जाता है।

विधेयक के सिद्धान्त के बारे में मेरा विचार यह है कि सट्टे से दूसरे विश्वयुद्ध से पहले अवश्य ही लाभ हुआ था तथा कि इसके बाद इससे राष्ट्रीय हितों को केवल हानि ही पहुंची है। आजकल एक और बात देखने में आ रही है जिसे आप समस्त वस्तुओं को अपने हाथ में कर लेना कहते हैं। आप किसी वायदा बाज़ार में चले जायें, आप देखेंगे कि कोई न कोई धनी व्यक्ति समस्त वस्तुओं को दबाए बैठा है। परिणाम यह है कि लाभ का एक बहुत बड़ा अंश उसे ही मिलता है। इसकी तुलना में उपभोक्ता को महंगे दामों पर उन वस्तुओं को खरीदना पड़ता है। अतएव वह समय आन पहुंचा है कि हम इन सौदों को न केवल विनियमित ही करें, बल्कि ऐसे प्रबन्ध करें कि व्यापारी केवल उचित लाभ ही को वसूल करे तथा बहुत अधिक नफ़ा न कमा सके। पिछली प्रवर समिति में हमने इस बात पर ज़ोर दिया था कि प्रवर समिति के सामने कुछ ऐसे गवाह भी बुलाये जायें जो उत्पादक तथा उपभोक्ता के दृष्टिकोण को बतलाएं।

श्री टामस की इच्छा है कि वस्तु-सूचि को स्वयं अधिनियम में शामिल किया जाय। मैं समझता हूं कि किसी वस्तु के निश्चित रूप से लिखने की आवश्यकता नहीं हमें सरकारी व्यवस्थापन पर विश्वास करना चाहिये तथा उन्हें आवश्यक विस्तृत शक्ति देनी चाहिये जिससे वे, जिस वस्तु के मूल्य को घटता बढ़ता देखें जिनसे कि उत्पादक तथा उपभोक्ता के हित को ठेस पहुंचने की सम्भावना हो, उस वस्तु को नियमित करने की कार्यवाही कर सकें।

इस विधेयक में तीसरे सदस्य के बारे में जो उपबन्ध रखा गया है। मैं उस का स्वागत करता हूं। पिछली बार 'विशाल अनुभव रखने वाले व्यक्ति' शब्द

[श्री हेडा]

रखे गये थे जिनका अर्थ यही हो सकता था कि किसी स्टाक एक्सचेन्ज के प्रधान रह चुके हों, अथवा प्रसिद्ध सट्टबाज़ । हमें तब यह आशंका थी कि अनुभवी होने से वह दूसरे कम जानकारी रखने वाले सदस्यों को भी प्रभावित कर सकेगा । अनुभव तथा जानकारी में काफ़ी अन्तर है । अतएव अ ा विधेयक में जो सुधार किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं ।

मेरे माननीय मित्र श्री गुहा ने खण्ड १८ पर आपत्ति की है । मेरा विचार है कि यह अधिनियम ऐसे सौदों पर अवश्य ही लागू होना चाहिए जो हस्तान्तरित न हो सकें तथा जिनमें माल निश्चित रूप से दिया जाना हो । मेरे ऐसा समझने का कारण यह है कि वास्तविक व्यवहार में ऐसे हस्तान्तरित न होने वाले सौदे अवश्य ही हस्तान्तरित हो सकने वाले सौदे बन जाते हैं । अतएव प्रवर समिति से मेरी यह प्रा ना है कि वह मामले को कम से कम उतना सीधा अवश्य रहने दे जितना कि पहले है । मेरा विचार है कि कलकत्ता के पटसन बाज़ार से सम्बन्धित व्यक्तियों को इस बारे में कोई आशंका नहीं होनी चाहिये । उनके मामले पर विचार किया जा सकता है तथा यथासम्भव पटसन के व्यापार को कुछ रियायत दी जा सकती है ।

मैं परामर्शदात्री समिति सम्बन्धी धारा २५ का भी स्वागत करता हूं । मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक में समिति की शक्तियों तथा उनके प्रयोग में लाये जाने की रीति का वर्णन न होते हुए भी, अनुभव प्राप्त होने के साथ साथ हम इस समिति को अधिकाधिक लाभकारी पाएंगे ।

मेरी एकमात्र प्रार्थना है कि सरकार इस परामर्शदात्री समिति या किसी और समिति के सदस्यों की नियुक्ति के समय उत्पादक तथा उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखे । मैं श्री गुहा के इस सुझाव से बिल्कुल सहमत हूं कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे यह संसद् वर्ष में कम से कम एक बार इस आयोग के काम की जांच पड़ताल कर सके ।

मुझे पूरी आशा है कि प्रवर समिति निश्चित किए गए समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगी । मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरंग) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान एक बात की ओर विशेषतः दिलाना चाहता हूं, वह है इस वायदे के सौदे के व्यापार का छोटे नगरों में फैलाना । अभी तक यह व्यापार बड़े बड़े नगरों तक ही सीमित था जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं । परन्तु दुर्भाग्य से स्थिति अब वह नहीं रही । अब २०,००० या १,००० की जनसंख्या वाले नगरों तथा ग्रामों में भी जा घुसा है । इस से हमारे समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा जिसके परिणाम बहुत खराब होंगे । यह एक प्रकार का जुआ है । इससे वास्तविक उत्पादन कुछ नहीं होता, परन्तु लाखों रुपया मिनट भर में इधर से उधर हो जाता है । यह एक खतरनाक व्यापार है ।

वास्तव में होता यह है कि कितनी ही पूंजी इन सौदों में फंस जाता है जिस कारण से कोई विकास कार्य नहीं हो सकता । इस व्यापार को न तो

आर्थिक समझा जा सकता है और न ही इससे कोई वास्तविक उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त मैं नहीं समझ पाता कि ऐसी वस्तुओं में सट्टे की आज्ञा क्यों दी जाय जिनका निर्यात नहीं होता है। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि एक ऐसे समाज के विषय में यह व्यापार वांछनीय नहीं है जिसके साधनों के अगले पांच वर्ष के लिए विकास कार्य पर लगाया जाना हो। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस बात पर विशेष ध्यान देंगे।

विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में यह लिखा है कि इस विधेयक का एक अच्छा परिणाम यह होगा कि मूल्यों के घटने बढ़ने के बुरे परिणामों की सम्भावना कम हो जायगी। परन्तु उपभोक्ता के लिए इससे कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता है। जब मन्दी आती है तो सारे समाज पर इसका प्रभाव पड़ता है तथा इने गिने व्यक्ति अपने कामों से इसे रोक नहीं सकते अतः मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं में सट्टा करने का तो थोड़ा बहुत औचित्य है, परन्तु जिन वस्तुओं का निर्यात नहीं किया जाता, उनमें सट्टा करने का कोई औचित्य नहीं है। इस कारण मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे नगरों में सट्टे को बिल्कुल बन्द कर दिया जाय। यदि ऐसा न किया गया तो उन क्षेत्रों में उद्योग तथा कृषि का कोई विकास नहीं हो सकेगा।

श्री मूलचन्द दुबे (जिला फ़र्रुखाबाद—उत्तर) : जहां तक इस विधेयक के सिद्धान्त का सम्बन्ध है, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं, परन्तु मैं यह समझता हूं कि यह कानून भारती प्रसंविदा अधिनियम तथा वस्तु विक्रय अधिनियम में उल्लिखित है। यदि इस अधिनियम में उक्त दो अधिनियमों के उपबन्धों के प्रतिकूल कोई बात हुई तो इसे लागू करने में कठिनाई का सामना होगा। इसके अतिरिक्त पण लगाने के सौदों तथा सट्टे के सौदों में कोई भेद नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि पण तथा सट्टे को कठोरतापूर्ण जल्द से जल्द अवैध घोषित किया जाय। परन्तु वायदे के सौदों का अवश्य कुछ लाभ है। परन्तु इस विधेयक में ऐसे सौदों के संरक्षण के लिए भी कुछ कार्यवाही नहीं की गई है।

दूसरी कठिनाई यह है कि जिन वस्तुओं के सम्बन्ध में वायदे के सौदों का मना किया जाना है, उनके सम्बन्ध में घोषण करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को दिया गया है। परन्तु सरकार द्वारा एक घोषणा मात्र से प्रसंविदा अधिनियम तथा वस्तु विक्रय अधिनिमय के उपबन्धों के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्धों का लागू करना कठिन होगा। मेरा निवेदन है कि वर्तमान विधियों की उपेक्षा करते हुए सरकार के आदेशों को लागू करने में कठिनाई आयगी। ये विधियां संसद द्वारा पारित होती हैं तथा सरकार के एक आदेश मात्र से इनकी अपेक्षा नहीं की जा सकती।

विधेयक का ध्यानपूर्ण अध्ययन न कर सकने के कारण मैं इन दो बातों को दृढ़तापूर्ण सदन के सामने नहीं रख सका हूं। मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति तथा माननीय मंत्री इनपर उचित ध्यान देंगे।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सब से पहले मैं अपनी उस टिप्पणी के बारे में कुछ कहूंगा जो मैं ने इस विधेयक के प्रवर समिति को निर्दिष्ट किए जाने के समय की थी। माननीय सदस्य इस बात को भूल गए हैं कि मेरे उस भाषण के समय

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

से लेकर प्रवर समिति उस विधेयक पर अपने विचार को समाप्त कर चुकी है। उनके विचार के फलस्वरूप कुछ फैसले किए गए हैं तथा उनके अनुसार कुछेक परिवर्तन भी किए जा चुके हैं। वास्तव में अन्तिम वक्ता ने भारतीय प्रसंविदा अधिनियम तथा वस्तु विक्रय अधिनियम की स्थिति के बारे में जो आशंकाएं प्रकट की हैं, उनका निवारण गत अवसर पर प्रवर समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधनों से हो जायगा। यदि माननीय सदस्यों का यह कहना है कि वर्तमान विधेयक में मेरी आलोचना की सभी बातों को दूर नहीं किया गया तो मेरा निवेदन यह है कि मुझे अस्थाई संसद द्वारा नियुक्त की गई एक ऐसी संस्था के फैसले की सर्वथा उपेक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस विधेयक के सम्बन्ध में विशिष्ट समिति की तुलना में कहीं अधिक जांच पड़ताल की है तथा मैं निश्चय ही उन के फैसले को स्वीकार करता हूं। यदि मेरे द्वारा इस विधेयक को पुरः स्थापित करते देखकर त्रावणकोर-कोचीन से आने वाले मेरे मित्र को कुछ आमोद होता है तो मुझे यह जानकर प्रसन्नता होती है कि मैं उन्हें ऐसे आमोद का अवसर दे सकता हूं परन्तु ऐसे आमोद को बिना किसी ईर्ष्या की भावना के होना चाहिये तथा इसका आधार तथ्य होने चाहियें। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि तथ्य तो यह है कि इस विधेयक की एक बड़ी योग्य समिति द्वारा जांच पड़ताल की जा चुकी है तथा कि बाद की आलोचना के प्रकाश में मैंने यह देखने का प्रयत्न किया है कि क्या मेरे अपने विचारों तथा उस आलोचना को सामने रखकर इस विधेयक में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मैं अवश्य स्वीकार करता हूं कि मैंने कुछ परिवर्तन किये हैं, परन्तु साथ ही में यह भी कहना चाहता हूं कि ये बहुत क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं हैं। इससे वह कारण समझ में आ जायगा कि मैंने असरकारी सदस्य तथा इस विधेयक के प्रस्तावक के नाते भिन्न भिन्न रुख क्यों अपनाये थे।

मेरे माननीय मित्र श्री बन्सल ने तथा कुछ और माननीय सदस्यों ने कुछ प्रश्न उठाये हैं। एक बात उन्होंने यह कही है कि सारभूत प्रदाय (अस्थायी अधिकार) अधिनियम में उल्लिखित कुछ वस्तुओं पर भारत सरकार को नियन्त्रण प्राप्त था। यह बात समझी जा सकती है कि वे अधिकार १९५५ में समाप्त हो जायेंगे। उस अधिनियम तथा वर्तमान अधिनियम में बहुत कम सादृश्य है। सारभत प्रदाय (अस्थायी अधिकार) अधिनियम में केवल यह किया गया है कि भारत प्रतिरक्षा नियमों में भारत सरकार को दी गई शक्तियों को जारी रखा गया है। ऐसा केवल नियमित करने के प्रयोजन से नहीं, अपितु इस प्रयोजन से किया गया है कि कुछ विशेष वस्तुओं के सम्बन्ध में सट्टे को रोका जाय ताकि जनता को उन वस्तुओं के न मिलने का ख़तरा उत्पन्न न हो सके। भारत प्रतिरक्षा नियमों में तथा सारभूत प्रदाय (अस्थायी अधिकार) अधिनियम में वायदे के सौदों सम्बन्धी व्यापार का नियमित करने का कोई इरादा या नीयत दिखाई नहीं पड़ती। इस विषय में हम ऐसा विधान बनाना चाहते हैं जिससे वायदे के सौदों के व्यापार को नियमित किया जा सके। बाद में एक प्रश्न यह उठाया गया है कि हम तो यहां विधान बना रहे हैं परन्तु मंडी में वास्तविक व्यापार कुछ भी नहीं है। हम उन

मण्डियों के वास्तविक रूप की भी झलग दिखाना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अब उन मण्डियों को उन वस्तुओं के विचार से संगठित किया जायगा जिनका वहां व्यापार होगा। मेरे मित्रों ने जो प्रश्न उठाया है, वह यह है कि इनमें कुछ वस्तुएं राज्यों सम्बन्धी सूची में अर्थात अनुसूची ७ की सूची में आती हैं। क्या फिर भारत सरकार उनके बारे में कोई विधान बना सकती है। मेरे माननीय मित्र इस बात को भूल गए हैं कि हम उन वस्तुओं के सम्बन्ध में यह विधान नहीं बना रहे हैं। हम यह नहीं कहते कि उत्पादक को इतना या और कोई निश्चित मूल्य दिया जाय। हम तो केवल इन वस्तुओं के व्यापार को नियमित कर रहे हैं। यदि मेरे माननीय मित्र का तर्क ठीक है तो हम श्रेष्ठि-चत्वर सम्बन्धी विधेयकों के सम्बन्ध में, जो सूची १ की मद ४८ में उल्लिखित है, कार्यवाही नहीं कर सकेंगे क्योंकि इन विधेयकों का सम्बन्ध ऐसी वस्तुओं से हो सकता है जो राज्यों के क्षेत्राधिकार में हैं, हम एकस्वों, आविष्कारों, प्रतिलिप्याधिकारों तथा उस प्रकार की बातों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं कर सकेंगे क्योंकि जिन वस्तुओं के सम्बन्ध में वे व्यापार करते हैं, वे राज्य क्षेत्राधिकार में हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त हमें प्रसंविदा अधिनियन में संशोधन करने की आज्ञा नहीं दी जायगी जिसके लिए उचित शक्ति की व्यवस्था समवर्ती सूची में की गई है। यदि माननीय सदस्य इस विधेयक का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो वे देखेंगे कि केन्द्रीय सरकार को इस बारे में पूरे अधिकार प्राप्त हैं क्योंकि हम उन बातों के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं जिन्हें अवश्य ही सौदे समझा जा सकता है तथा उन्हें कुछ कानूनी महत्व दिया जा सकता है तथा हमें उनके बारे में कानून बनाने ही पड़ते हैं। व्यक्तिगत रूप से कहते हुए मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं तथा काफी योग्य व्यक्तियों ने मुझे बतलाया है कि मेरी स्थिति ठीक है। यदि मेरी स्थिति ठीक है तो कानून अपना काम करेगा। मैं इस क्रम पर कानूनी स्थिति पर अधिक विस्तार से नहीं कहूंगा।

मेरे माननीय मित्र ने एक और प्रश्न उठाया है। हम 'आयोग' के शब्द का प्रयोग करके एक ऐसी ग़लती करते हैं जिसके कई अर्थ निकल सकते हैं। कई लोगों के मन में इस शब्द के बारे में निश्चित सी धारणा जमी हुई है। आयोग एक परिनियत निकाय है जो सरकार से एकदम स्वतन्त्र रूप से परिनियत शक्तियों के अन्तर्गत काम करता है--तो लोगों के मन में ऐसी धारणा जमी हुई है तथा जब हम इस शब्द का प्रयोग एक से निकाय के लिये करते हैं जो परिनियत नहीं होता तथा जिसका सरकार से केवल संलग्न ही है तथा जो मन्त्रालय का एक सामान्य भाग हैं तो विवाद या मतभेद अवश्य उत्पन्न हो सकता है तथा हमें उसके स्पष्टीकरण के लिये कहा जाता है। कल मैंने इस बारे में कहा था कि वायदे के सौदों सम्बन्धी आयोग सामान्य अर्थों में कोई आयोग नहीं है (अन्तर्बाधा)। अस्तु, यह केवल नाम का प्रश्न है। मैं इस सम्बन्ध में किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता तथा न ही इस बारे में समझौता करना चाहता हूं। मैंने इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया है तथा इस विधेयक में प्रवर समिति के अतिरिक्त

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

जो संशोधन किये गये हैं, उनसे पता चलता है कि अवश्य ही हम वायदा बाजार को नियंत्रित करने के प्रबन्ध करना चाहते हैं। हम ने इसमें 'परामर्श से' शब्द निकाल दिए हैं जिन पर मैंने आरम्भ में आपत्ति की थी अथवा ऐसा जान पड़ता है कि मैंने आपत्ति की थी ; कारण यह कि हम नहीं चाहते थे कि यह निकाय देखने में लेशमात्र भी सरकार से बिल्कुल स्वतन्त्र हो। यह सचिवालय का एक भाग होगा--वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का तथा इससे गए दिनों में मेरे ारा की गई आपत्ति का भी आंशिक रूप से उत्तर मिल जाता है। यदि यह सचिवालय का एक भाग होगा तो इसके व्यय में काफ़ी कमी हो जायगी। मैं ने यही तरकीब सोची है जिस के सम्बन्ध में प्रवर समिति के अनुमोदन को प्राप्त करना होगा तथा उसके बाद सदन के अनुमोदन को सरकार पर इस निकाय के काम करने से व्यय का कोई अनुचित भार नहीं पड़ेगा। यह सरकार के अंग रूप से ही काम करेगा। निस्सन्देह यह एक परिनियत संस्था है क्योंकि इसका वर्णन स्वयं इस विधेयक में किया गया है, परन्तु यह कोई स्वतन्त्र निकाय या संस्था नहीं है। यह एक पृथक बात है कि कुछ लोग इसे पसन्द नहीं करते हैं।

एक माननीय सदस्य ने इस आयोग के सदस्यों की निर्धारित योग्यताओं के बारे में प्रशंसा की है। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने ऐसी प्रशंसा की। कारण यह कि मैं नहीं चाहता कि सरकार पर इन सदस्यों के चुनने के सम्बन्ध में ऐसे उपबन्धों की रुकावटें लगा दी जायें जिनका अर्थ यह हो कि ये सदस्य वायदा बाज़ार में काम करने वाले व्यक्तियों के प्रतिनिधि होने चाहियें। केवल जानकारी ही काफी है। जानकारी तो मैं भी प्राप्त कर सकता हूं। दुर्भाग्य से मुझे एक जांच करनी पड़ी थी तथा उस जांच के दौरान में, एक विशेष मण्डी के काम करने के ढंग को देख कर अब मैं इतना कह सकता हूं कि यदि मैं इस पद को छोड़ कर वायदे के सौदों सम्बन्धी आयोग का एक सदस्य बना दिया जाऊं तो प्राविधिक रूप से मैं उस कार्य को कर सकूंगा।

माननीय सदस्य श्री उपाध्याय ने मेरे भाषण से लम्बे चौड़े उद्धरण दिए हैं। जब मैं ने उन्हें यह कहते सुना कि उनके और मेरे विचार एक ही हैं तो मैं ने समझा कि जब मैं इन विधान का अनुमोदन करता हूं तो उन्हें अवश्य ही यह संतोष हो गया होगा कि मैं ने उन कठिनाइयों के बारे में बचाव की काफी व्यवस्था कर दी है जिन्हें मैंने और उन्होंने एक पुर्वावसर पर अनुभव किया था। मुझे खेद है कि मेरे माननीय मित्र परिवर्तित स्थिति के अनुकूल नहीं ढल सके हैं, क्योंकि विधेयक के उपबन्धों से पता चल जाता है कि हम इस बारे में सावधान रहे हैं कि स्वार्थी लोगों को, जो निस्सन्देह इन वायदे के सौदों की मण्डियों को चलाने वाली संस्थाओं में शामिल होंगे, इतने अधिकार न मिल जायं कि दूसरे समस्त हितों पर छा जायें। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, इस बारे में काफी जांच पड़ताल रहेगी। वास्तव में हमने ऐसी व्यवस्था भी की है कि यद्यपि हम अवांच्छनीय व्यक्तियों के ऐसी संस्थाओं में शामिल न होने देन के सिद्धान्त का समर्थन करते हैं, सरकार इन संस्थाओं की सदस्यता को संकुचित किये जाने की आज्ञा नहीं देगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अवश्य ही इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमें इन वस्तुओं में व्यापार करने वाले ऐसे व्यक्तियों के साथ मिल कर काम करना पड़ता है जो बहुत धनी हो सकते हैं, जो सट्टेबाज़ हैं तथा जो नैतिकता का लेशमात्र विचार किए बिना अपनी मनमानी करते हैं.....

श्री ए० सी० गुहा : तथा सरकार के नियन्त्रण के होते हुए भी ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :.....खैर, इसका कुछ प्रबन्ध नहीं हो सकता । यह तो एक प्रकार से ऐसी बात होगी कि जेल के अधीक्षक (सुपरिन्टेन्डेंट) महोदय से कहा जाय कि 'आप अपराध की मनोवृत्ति' रखने वाले व्यक्तियों से कोई सरोकार न रखें । हम तो केवल यह कर रहे हैं कि इस सारी समस्या का क्रियात्मक अध्ययन करने के बाद इस व्यापार को नियमित बनायें ताकि देश के आर्थिक भविष्य पर किसी प्रकार से बुरा प्रभाव न पड़े ।

मेरा विचार है कि श्री टामस ने जब भाषण दिया था तो उनके सामने मुख्यता कोचीन का वायदा बाजार था तथा मैं समझता हूं कि त्रावणकोर-कोचीन की महिला-सदस्या के सामने भी वहां का स्थानीय बाज़ार था । सरकार के सामने वहां के लोगों की एक निश्चित प्रार्थना की है । वे चाहते हैं कि वहां की ऐसी मण्डियों को फिर से खोला जाय । हमें पता नहीं कि क्या हम उन मण्डियों को इस समय खोल भी सकते हैं या नहीं तथा न ही हमें यह पता है कि इस विधेयक के पारित होने पर वायदे के सौदों के बाज़ार पर क्या प्रभाव पड़ेगा । कुछ भी हो, स्थिति की जाच हो रही है । परन्तु मुझे प्रसन्नता है कि ऐसे श्रेत्रों के लोग जहां बड़े बड़े सट्टेबाज़ नहीं हैं, इन वायदे के सौदों का कुछ न कुछ लाभ उठा रहे हैं तथा मैं समझता हूं कि वायदे के सौदों को चलने देने की एक आवश्यकता यह है कि कोचीन तथा अलप्पी जैसे छोटे छोटे स्थानों पर, जहां लोग कलकत्ता तथा बम्बई के लोगों की तरह इतने धनी नहीं होते, व्यापार चलाने के लिए इस प्रकार के सौदे बहुत सहायक होते हैं अथवा खतरों के टालने में बहुत काम आते हैं अथवा उन्हें कम करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं । इस उदाहरण से यह पता चल जाता है कि छोटे व्यापार में वायदे के सौदों को लाभपूर्व ढंग से काम में लाया जा सकता है ।

श्री गुहा ने इच्छा प्रकट की है कि बंगाल की स्थिति को सुरक्षित किया जाय । इस सम्बन्ध में मैं सदन को फिर उन बातों को याद दिलाना चाहता हूं जो मैंने कल अपरिवर्त्तनीय निश्चित प्रत्यर्पण के सौदों (ऐसे सौदों जिनमें हस्तान्तरण न हो सके तथा माल के निश्चित रूप से देने का करार हो) के बारे में कही थीं । निस्सन्देह हमने इन उपबन्धों को लचकीला रखा है तथा मैं समझता हूं कि धारा १८, जिस पर यहां चर्चा हो चुकी है, इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ छूट अवश्य देती है । श्री गुहा ने यह सन्देह प्रकट किया है कि क्या प्रवर समिति ने इस प्रकार की धारा रख कर कोई बुद्धिमत्ता का कार्य किया है ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं समझता हूं कि मैंने यह कहा था कि वर्तमान परिस्थिति में यह दो विरोधी दृष्टिकोणों का परस्पर समझौता था तथा मुझे इससे कुछ आश्चर्य नहीं हुआ ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : उन्होंने इस विशेष धारा के स्वीकार करने की बुद्धिमत्ता के बारे में कुछ संशय प्रकट किये हैं । हमें इनमें विस्तार से जाने का फिर अवसर मिलेगा जैसा कि मैं इस समय सोच सकता हूं, इसमें काफी स्वतंन्त्रता दी गई है उन धारणाओं के बारे में स्वतन्त्रता जो कुछ सौदों के सम्बन्ध में लोगों के मन में जमी हुई है । साथ ही हम नहीं चाहते कि यह किसी प्रकार से एक सख्त सी चीज़ बनकर रह जाय । हम इसे लचकीला रखना चाहते हैं तथा मैं समझता हूं कि इस समय की शब्द रचना को देखते हुए यह विधान लचकीला है । फिर भी हम इस की जांच करायेंगे।

एक माननीय सदस्य ने वस्तुओं के स्वेच्छा से चुनने के बारे में प्रश्न उठाया है । कुछ लोग इस स्वेच्छा के अधिकार को चाहते हैं तथा कुछ लोग कहते हैं कि इसमें जुवे का लेशमात्र भी नहीं होना चाहिये । अब जिस बात के करने की चेष्टा की गई है, उसका बहुत कुछ वर्णन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मण्डल के वायदे के व्यापार सम्बन्धी एक प्रकाशन में कर दिया गया है तथा उसकी सन् १९३९ की कोई तिथि है । मैं इसमें से आप को एक पैरा पढ़कर सुनाता हूं--उसमें इस तरीके को बतलाया गया है :

> "इस बात पर ज़ोर देना आवश्यक है कि यह कोई कागज़ी सौदा ही नहीं है बल्कि इसमें एक निश्चित तिथि पर सौदे की वस्तु को उसके वर्णित भार के अनुसार निश्चित रूप से सौंपने की व्यवस्था की गई है । "

यदि वायदे के सौदों की मण्डी में उपरोक्त बात की आवश्यक रूप से अनुमति दी जानी है तो यह स्वेच्छा अधिकार अपने आप जाता रहता है । इसके बाद--

> "इसमें वस्तु के गुण प्रकार का भी विचार किया गया है तथा साथ ही यह व्यवस्था भी की गई है कि उस गुण प्रकार में एक सीमा के अन्दर अन्दर छूट हो सकती है परन्तु सौदे आधार पर या इसकी उपेक्षा कहते हुए.....

यदि यही वह बात है जिसे हमने वायदे के बाज़ार में उचित माना है, स्वेच्छा के अधिकार का जो अर्थ हम समझे हैं तथा जिसे हम अपनी भाषा में तेज़ी मण्डी कहते हैं, उसका इस व्यापार में कोई स्थान नहीं रहेगा । परन्तु यदि इस स्वेच्छा अधिकार का अर्थ कुछ और है--यदि उनके बारे में कोई निश्चित सी बात है तथा यदि वह केवल जुआ ही नहीं है तो हमें इसकी परिभाषा करनी होगी तथा इसे धारा १८ के अन्तर्गत स्वीकार्य बनाना होगा ।

श्री ए० सी० गुहा : यह बात ऐसे हस्तान्तरित हो सकने वाले ऐसे सौदों के अन्तर्गत आ सकती है जिसमें निश्चित प्रकार का माल देना होता है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अस्तु, वास्तव में विचार यही है । अतएव जहां मैं यह मानता हूं कि इस विचार में गलत समझे जाने जी सम्भावना अवश्य विद्यमान है वहां मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि विधान के लचकीला रखने का हमारा उद्देश्य यह है कि हम वायदे के सौदों के सम्बन्ध में उचित

सीमा तक व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाएं जिसमें कभी कभी सौदों वस्तुओं को देने का होता है या उस सौदे को, उसके पूरा होने से भी परले दूसरे सौदे द्वारा रद्द कर देने का होता है। यदि आवश्यक हो तो हम इस प्रश्न को प्रवर समिति में पुनः विस्तार से जांच कर सकते हैं।

११ म० पू०

श्री त्रिपाठी को इस सारी बात का आधार पसंद नहीं है। शायद उन्हें अपने कस्बे का कोई अनुभव है। यदि उनके कस्बे की घटना को स्वेच्छा अधिकार, जिसे हम अपनी भाषा में तेजी मन्डी कहते हैं, समझा जा सकता है तो स्पष्टतः उसे बन्द कर दिया जायेगा। परन्तु इसके विपरीत यदि सामान्य व्यापार को चलाए रखने के लिए आवश्यकता हुई कि वायदे के सौदों के व्यापार को उसी प्रकार का बनाया जाय जिस प्रकार से वह कोचीन या अलप्पी में है तो इस की एक व्यापार संघ के अन्तर्गत, जिसे ऐसा अधिकार प्राप्त है तथा जिस के कार्मों पर सरकार की देख रेख रहेगी, आज्ञा दी जा सकती है। जरूरी नहीं कि इसका अर्थ यह हो कि इस लाभ को बम्बई तथा कलकत्ता तक ही सीमित रखा जाय। ऐसा कोई कारण नहीं कि इस लाभ को दूसरे क्षेत्रों को न दिया जाय। हम तो केवल इस बात के लिए ज़ोर देते हैं कि एक स्वीकृत संस्था होनी चाहिये तथा उसके एक निश्चित स्तर के नियम यथा उपनियम होने चाहियें। देख रेख की भी काफी व्यवस्था रहनी चाहिये तथा तेज़ी मन्दी में बहुत अधिक भाग लेने का कोई अवसर नहीं रहना चाहिये। इस बात के अन्तर्गत मुझे कोई कारण समझ नहीं आता कि छोटे छोटे नगरों को वायदे की मण्डी का लाभ क्यों न दिया जाय। विशेषतः ऐसे क्षेत्रों को जहां ठोस व्यापार होता है। उदाहरण से आप समझिये कि आगरा में कपड़े की कुछ मिलें हैं। वहां पर कपास की मंडी है। ऐसी अवस्था में कोई कारण नहीं कि मैं वहां के मिल प्रबन्धकों को मना कर दूं कि वे वायदे के सौदों द्वारा कपास के प्रदाय को अपने लिए निश्चित न करें जिससे लागत निश्चित करने के अभिप्राय से कपास के मूल्यों को उचित आधार पर लाया जा सके। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिये कि यह बम्बई तथा कलकता का ही एकाधिकार है तथा आगरा को यह लाभ नहीं दिया जाना चाहिये। केवल हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि इसका दुरुपयोग न होने पाए। इस बात के कहने से कोई प्रयोजन नहीं कि २०,००० की जनसंख्या वाले किसी कस्बे में वायदे के सौदे नहीं किए जाने चाहियें। इस में कोई ठोसपन नहीं है। उदाहरण से दक्षिण भारत में राजपालयम स्थान पर एक बहुत बड़ी मण्डी के बन जाने की सम्भावना है। वहां केवल २०,००० व्यक्ति रहते हैं तथा मैं कोई कारण नहीं देखता हूं कि वहां एक बड़ी मण्डी क्यों न बनने दी जाय।

अन्तिम वक्ता ने लगभग वही आशंकाएं प्रकट की हैं जो पहले मुझे थीं, परन्तु उस अवसर पर प्रवर समिति द्वारा किए गए संशोधनों से लगभग वह कमी पूरी हो गई है जो पहले विद्यमान थी और क्योंकि हम इस प्रकार के सौदों के सम्बन्ध में विधानिक स्वीकृति प्राप्त करने वाले हैं---ऐसे सौदे जो व्यापार-संघों के नियमों तथा उपनियमों के अनुसार किए जाते हैं। मैं समझता हूं कि इससे मेरे मित्र की आशंका मिट जायेगी।

मेरे माननीय मित्र श्री टामस ने एक प्रश्न उठाया है जिसका मैं उत्तर देना

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि मुझे 'न्यायोचित' शब्द पर आपत्ति थी क्योंकि इससे मुकदमेबाजी की बाढ़ सी आरम्भ हो जायगी। मैं सहमत हूं कि बात ऐसी ही है। परन्तु इससे मैं पण्डित ठाकुर दास भार्गव के सामने यह स्वीकार करता हूं कि हमने यह शब्द संविधान के अनुच्छेद १९ को ध्यान में रखकर लिया है। 'न्यायोचित' शब्द के रखने मे मेरा स्पष्टीकरण यही है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने इस विधान की जिस जिस कमी का उल्लेख किया है, उसे लिख लिया जायेगा तथा उन सब को प्रवर समिति के सामन रखा जायेगा। यह काम उस समिति का है कि वह देखे कि यह गलत है या ठीक तथा इस सम्बन्ध में अपना कोई फैसला दे। सचमुच मैं प्रवर समिति को फैसलों को पहले से बतलाने में असमर्थ हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : सरकार द्वारा नमूने के नियमों तथा उप-नियमों के बनाये जाने के बारे में आपकी स्थिति क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैंने कहा है, यह एक ऐसी बात है जिसे प्रवर समिति के सामने रखा जायेगा।

मैं परामर्शदात्री समिति के सम्बन्ध में एक शब्द कहना भूल गया हूं। मैं इस उपबन्ध के शामिल करने का दोष अपने पर लेता हूं। जब मैंने ऐसा किया तो मेरे मन में विचार यह था कि क्योंकि वायदा मण्डी आयोग एक कार्यपालिका की प्रकार का निकाय होगा, अतः वास्तविक हित रखने वाले लोगों तथा जनमत को इस से सम्बन्धित किया जाना चाहिए। सरकार के लिए इस प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का करना कोई कठिन बात नहीं है। हम ने आयात तथा निर्यात के सम्बन्ध में परामर्शदात्री समितियां बना रखी हैं। संविधान समय समय पर बदलता रहता है। कभी कभी हम इन संघों से प्रति-निधियों के भेजने के लिए कहते हैं तथा कभी कभी हम ऐसे प्रतिनिधियों को अपनी इच्छानुसार चुन लेते हैं। मेरा विचार है कि इन निकायों द्वारा व्यक्त किये गये जनमत के प्रतिनिधित्व तथा सरकार के बीच परा-मर्श का परिणाम सदैव अच्छा ही रहेगा। वस्तुतः मेरा विचार यही था कि समय समय पर सरकार को परामर्श देने के लिए इस प्रकार की कोई संस्था होनी चाहिए। हो सकता है कि हम उन्हें एक या दो निश्चित मामले ही निर्दिष्ट करें या यह भी हो सकता है कि इस समिति की वर्ष में दो या तीन वार बैठक की जाय तथा सारे मामले इसी के सामने रखे जायें। अतः मैं नहीं कह सकता कि इस समिति का कार्य-क्रम क्या होगा तथा हम परामर्शदात्री समिति के सामने क्या क्या मामले रखेंगे, न ही मैं अपने पर इस प्रकार की कोई रोक लगाना चाहता हूं कि दो प्रतिनिधि तो लोक-सभा से लिए जायेंगे या एक प्रतिनिधि राज्य-परिषद् से लिया जायगा या कि एक पूर्वी भारत कपास संघ से लिया जायगा इत्यादि। सरकार को इस अधिकार के प्रयोग के लिए स्वतन्त्र रहने दिया जाये कि वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से अपनी इच्छा के व्यक्ति चुन ले। हो सकता है कि हम एक बैंकर को चुन लें या किसी अर्थ-विशेषज्ञ को चुन लें। इस समय मैं इस परामर्शदात्री समिति के यथार्थ सदस्य-गण के बारे में कोई वचन नहीं दे सकता तथा सामान्यतः जो मैं ने सोचा था कि

सदन को जिस बात से संतोष होगा वह यह है कि सरकार किसी प्रकार से जनमत के विरोध में काम नहीं करेगी । सरकार के सामने जनमत को रखने के लिए परामर्श दात्री समिति की आवश्यकता रहेगी तथा वह किसी निहित स्वार्थ का प्रतिनिधित्व नहीं करेगी । मेरा दृष्टिकोण यह है । यदि प्रवर समिति समझती है कि मेरा विचार गलत है तथा वह इस विशेष धारा को निकाल देना चाहती है तो मुझे कोई शिकायत नहीं रहेगी । मैं ने इस बात को आपके सामने केवल विचार के लिए सुझाव रूप में रखा है । यदि प्रवर समिति मेरे विचार का अनुमोदन करे तथा यह समझे कि इस का परिणाम अच्छा ही रहेगा तो यह धारा विधेयक में रह जायगी । परन्तु यदि उन का ऐसा विचार न हुआ तो यह उपबन्ध निकाल दिया जायगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"वायदे के सौदों सम्बन्धी कुछ मामलों को विनियमित करने, वस्तुओं के सम्बन्ध में स्वेच्छाधिकार पर प्रतिबन्ध लगाने तथा तत्संबंधी मामलों को विनियमित करने का प्रावधान करने वाले विधेयक को श्री चिमनलाल चक्कू भाई शाह, श्री वी०बी० गांधी, श्री घमण्डीलाल बन्सल, श्री मुकन्द लाल अग्रवाल, श्री रघुवीर सहाय, श्री सिन्हासन सिंह, श्री सी० आर० बसापा, श्री बलवन्त सिन्हा महता, श्री असिम कृष्णा दत्त, श्री मथुरा प्रसाद मिश्र, श्री आर० पी० निवेतिया, श्री अहमद मुहीयुद्दीन, डा० राम सुभाग सिंह, श्री पी० टी० थानु पिल्ले, श्री जी० आर० दामोदरन, श्री के० टी० अछूदन, श्री सतीश चन्द्र सामन्त, श्री जगन्नाथ कोले, श्री सी० आर० चौधरी, श्री उमाशकर मुल्जीभाई त्रिवेदी, श्री तुलसीदास किलाचन्द, श्री अमजद अली, श्री रियासम सिशांगिरी राव, श्री जी० डी० सोमानी, श्री देवकान्त बोरूह, श्री भवानोजी, पं० खिमजी, श्री भगवन झा आज़ाद, श्री सतीश चन्द्र, श्री राधे लाल व्यास, श्री फीरोज़ गान्धी, श्री डी० पी० करमरकर, श्री चिन्तामण द्वारकानाथ देशमुख तथा प्रस्तावक महोदय की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय तथा उसे अगले सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन तक अपने प्रतिवेदन को प्रस्तुत कर देने के अनुदेश दिये जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री टी० टी० कृष्णमाचारी को प्रवर समिति का सभापति नियुक्त करता हूं । सदन को ५-४५ म० प० तक स्थगित किया जाता है ।

इस के पश्चात् सदन की बैठक पौने छः बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।

सदन की बैठक पौने ६ बजे पुनः सम्वेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

राज्य-परिषद से प्राप्त संदेश

सचिव : श्रीमान्, मैं सूचना देता

[सचिव]

चाहता हूं कि मुझे राज्य-परिषद् से यह संदेश प्राप्त हुआ है :

"राज्य-परिषद् के प्रक्रिया नियमों तथा कार्यक्रम संचालन के नियम १२५ के अनुसार, मुझे लोक-सभा को यह सूचना भेजने का निदेश दिया गया है कि राज्य परिषद् ने १२ अगस्त, १९५२ को आयोजित अपनी बैठक में निवारक निरोध अधिनियम (द्वितीय संशोधन) विधेयक १९५२ को, जिसे लोक-सभा ने ६ अगस्त, १९५२ को स्वीकार किया था बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन को अनिश्चित तिथि तक स्थगित किया जाता है।

इस के पश्चात् सदन की बैठक अनिश्चित तिथि तक के लिये स्थगित हो गई।